

भारत में हरित कांति के बाद कृषि विपणन का विकास : एक अध्ययन

दीपा वर्मा¹ डॉ. पुन्ज भाष्कर²

Research Scholar Assistant professor

CSJM University* Kanpur Department of Economics** D.A-V.P.G.College Kanpur

Email: dipaharshitaverma@gmail.com

Email: punjhashkar080670@gmail.com

(Received:5.January.2022/Revised:20.January.2022/Accepted:29.January.2022/Published:10.February.2022)

प्रस्तावना :-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। भारत की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या के जीविकोपार्जन का स्रोत कृषि है। कृषि से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों से भारत की जनता का भरण—पोषण किया जाता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है। कृषि उत्पादनों पर उद्योगों का कच्चा माल, ग्रामीण व्यवसाय, आर्थिक वृद्धि आदि आश्रित रहते हैं। इस कारण पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्रधानता दी गई और कृषि की वृद्धि के लिए एक निश्चित दर से व्यय किया गया, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्रमुखतः देने के सन्दर्भ में डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने कृषि के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा है कि “यदि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास के विशाल पहाड़ को लांघना है तो कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।” इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई जिसमें कृषि के विकास के लिए 290 करोड़ रु0 खर्च किये गए और कृषि उत्पादन बढ़कर 693 लाख टन हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए 549 करोड़ रु0 खर्च किये गये और कृषि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 823 लाख टन हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए 1089 करोड़ रु0

खर्च किये गए, लेकिन कृषि का उत्पादन कम होकर 723 लाख टन प्राप्त किया गया, जो भारतीय जनता की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए बहुत कम था। इस समय 1965–66 में गंभीर सूखे के कारण भारत के अनेक प्रदेशों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और भारत का युद्ध पाकिस्तान से होने के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में कमी हुई थी।

भारत में खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए कृषि की फसलों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई किस्मों, बीजों, तकनीकों, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किये जाने पर जोर दिया गया, जो बाद में हरित क्रांति के रूप में सामने आई। हरित क्रांति को प्रोत्साहन देने से कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन की समस्या का धीरे-धीरे निदान होने लगा। खाद्यान्नों में वृद्धि होने से किसानों के पास कृषि फसलों के अतिरिक्त भाग की मात्रा में वृद्धि होने लगी जिसको वह मण्डियों में बेचने लगा। किसानों के द्वारा अपनी कृषि फसलों की विपणन किया करने से कृषि विपणन की प्रक्रिया में वृद्धि होने लगी। कृषि विपणन के विकास से भारत में खाद्यान्नों की पूर्ति में वृद्धि होने लगी और खाद्यान्न भण्डारण में वृद्धि करने पर जोर दिया जाने लगा ताकि खाद्यान्नों की समस्या न आये। भारत सरकार ने कृषि विपणन के विकास के लिए व्यवस्थायें, सेवायें, अधिनियम आदि बनाये हैं। किसानों को कृषि विपणन की प्रक्रिया करने में कठिनाई न हो इसके लिए मण्डियों, मण्डी समितियों, मण्डी परिषदों, ई-बजारों, संचार सुविधाओं, नाप-तौल की उचित व्यवस्था आदि की गई है। जिससे कृषि विपणन का विकास होता रहे।

हरित क्रांति का उद्भव :-

हरित क्रांति का उद्भव कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि फसलों में वृद्धि करने के लिए किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए नई कृषि प्रौद्योगिकी के लिए एक दल बनाया, जिसमें मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केन्द्र व फिलिपीन्स के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया गया। कृषि वैज्ञानिकों के दल ने 1950–60 के दस वर्षों में लगातार कठिन परिश्रम करने के बाद उच्च किस्मों का आविष्कार किया। इस दल के द्वारा जो कृषि प्रौद्योगिकी अपनाई गयी थी, उसके विकसित होने तथा इस प्रौद्योगिकी के सफल परिणाम निकलने के पश्चात इसका प्रयोग एशिया और अमेरिका के जो क्षेत्र विकासशील और कृषि पर निर्भर थे उन क्षेत्रों में इस कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया ताकि खाद्यान्नों की कमी को पूरा किया जा सके। कृषि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो कृषि प्रौद्योगिकी बनाई गई थी उसमें अधिक उपजाऊ बीजों की किस्मों का प्रयोग, आधुनिक कृषि के लिए किये जाने वाले निवेश, उपकरणों, तकनीकों आदि का प्रयोग किया गया जिसमें रासायनिक खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक दवायें, ट्रेक्टर, थ्रैशर, पम्प आदि को शामिल किया गया।

हरित कांति जब प्रारम्भ की गई थी तब गेहूँ और चावल दो फसलों पर परीक्षण किया गया और इनकी पैदावार में वृद्धि पर जोर दिया गया जिससे गेहूँ और चावल से देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान हो सके तथा देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भता को प्राप्त कर सके। इन फसलों के पुराने बीज नई प्रौद्योगिकी के रासायनिक खादों, सिंचाई, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग व इनकी अधिक मात्रा को सहन नहीं कर पाते थे, जिस प्रकार नई किस्म के बीज इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सहन करके अधिक मात्रा में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करते थे। तब इस नई प्रौद्योगिकी के लिए डॉ. विलियम गॉड ने हरित कांति शब्द की रचना की थी। डॉ. विलियम गॉड ने 1968 ई0 में अमेरिका और एशिया के कृषि पर आश्रित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए हरित कांति शब्द का प्रयोग किया था। इस समय भुखमरी के संकट से बचने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से खाद्यान्नों की पूर्ति हुई और विकासशील देश धीरे-धीरे आत्मनिर्भर होने लगे। इस नई प्रौद्योगिकी के आविष्कार का श्रेय डॉ. नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है क्योंकि डॉ. नॉर्मन बोरलॉग ने सर्वप्रथम गेहूँ की उच्च किस्मों की खोज की थी। डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा बनाये गये अपने शोध सदस्यों के दल के साथ मिल कर दस वर्षों में निरन्तर कठिन परिश्रम करके जो शोध कार्य किया गया उससे हाई ईल्डिंग वैराइटीज की नई किस्में 1964 तक प्राप्त हुई जिसमें सरोज, सियेट, लेरमा राजो 64, सुपर एक्स आदि थी। इस सर्वश्रेष्ठ शोध के लिए डॉ. नॉर्मन बोरलॉग को हरित कांति का जनक कहा जाता है जो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है। डॉ. नॉर्मन बोरलॉग को सन् 1970 में “कृषि और खाद उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान और भूखी दुनिया को रोटी और शांति के लिए” नोबल विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा गेहूँ की उच्च किस्म खोजने के कार्य को ‘हरित कांति’ की संज्ञा अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रमुख ने दी थी। भारत में डॉ. नॉर्मन बोरलॉग को ‘भारत का अन्नदाता’ और प्यार से ‘प्रोफेसर व्हीट’ भी कहा जाता है।

भारत में हरित कांति की आवश्यकता :-

भारत में 1950 से 1960 तक दस वर्षों के अन्तराल में अत्यधिक खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, जिसके समाधान के लिए भारत को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, ताकि खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके। इस समय भारत के बहुत से प्रदेशों को अकाल का सामना करना पड़ा था। इन प्रदेशों में खाद्यान्नों की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा था। भारत विकासशील देश होने के कारण कृषि पर अधिक निर्भर था, जिससे यहाँ के लोगों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। भारत में इस समय भीषण खाद्यान्न समस्या के साथ पाकिस्तान से युद्ध भी हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने देश के नागरिकों को अनाज उत्पादन के लिए प्रतित किया और ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की खाद्यान्न समस्या के

निदान के लिए कहा था कि “और सब कुछ रुक सकता है मगर कृषि नहीं”। इस वाक्य से लाल बहादुर शास्त्री का यह तात्पर्य था कि कृषि के विकास को प्रोत्साहन दिया जाये, उसके लिए जो भी तकनीक अपनानी पड़े उनको अपनया जाये, जिससे कृषि का विकास होता रहे। पहले भारत में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा आविष्कृत नई किस्मों को अस्वीकार किया गया, लेकिन बाद में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने और साथ में युद्ध भी होने के कारण इस नई किस्म को अपनाने पर विचार किया गया, ताकि अकाल की भयानक समस्या से लोगों को बचाया जा सके। इस दौरान डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने मई 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली संस्था के निदेशक डॉ. बी.पी. पाल से अनुरोध किया, कि डॉ. नॉर्मन बोरलॉग को भारत बुलाने का निमन्त्रण पत्र भेजा जाये, उनसे भारत आने के लिए निवेदन किया जाये तथा डॉ. नॉर्मन बोरलॉग से विनती की जाये कि वह अपनी गेहूँ की उच्च किस्मों को बताने का कष्ट करें। डॉ. नॉर्मन बोरलॉग तो नहीं आ पाये लेकिन उनके स्थान पर रॉकफेलर प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ विकास कार्यक्रम के निदेशक ग्लेन एंडरसन भारत आये और नई दिल्ली में 1975 तक परीक्षण कार्य करते रहे। नई किस्मों की खोज के लिए गेहूँ के क्षेत्रीय परीक्षण की शुरुआत अमेरिका कृषि विभाग (USDA) के द्वारा 1961–69 तक अलग-अलग क्षेत्रों में किये गये जिसमें दिल्ली, कानपुर, पुणे, इंदौर, पंतनगर आदि अनेक स्थानों पर बहुत पैमाने पर परीक्षण किये गये। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में मार्च 1962 में नई किस्मों के परीक्षण को शुरू किया गया, जिसका श्रेय भारत में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने वैज्ञानिकों के दल के साथ मिलकर शोध कार्य किया, जिसके पश्चात भारत में नई किस्म के गेहूँ और धान का उत्पादन होना सम्भव हो पाया। भारत में इस नई किस्म के प्रयोग को सम्भव बनाने और खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित कांति का जनक कहा जाता है। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि में वृद्धि करने के लिए अन्य नई किस्मों को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। जो फोर्ड और रॉकफेलर प्रतिष्ठान की अनुशंसित जैपोनिका और इंडिका की अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली किस्में थीं। फोर्ड फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञों के दल की सिफारिश पर भारत ने खाद्यान्नों की कम समय में पूर्ति करने के लिए गेहूँ और धान की नई किस्मों का प्रयोग चुने गये क्षेत्रों में किया गया था। फोर्ड फाउंडेशन ने भारत सरकार की अनुमति लेकर ‘गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम’ (IAAP) 1960 के दशक में शुरू किया, जिसमें कृषि की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए उत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। उत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने पर जोर उन क्षेत्रों में किया गया, जहाँ कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की अधिक सम्भावना थी। खाद्यान्नों की मात्रा में उत्तम वृद्धि हो इसके लिए इन क्षेत्रों में किसानों की सुविधा के लिए अनेक कार्यक्रम, निर्देश और सेवायें प्रदान की गई जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सफलता प्राप्त हो और फसलों की पैदावार में वृद्धि होती रहे। ‘गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम’ (IAAP) के कृषि

क्षेत्रों में बहुत सफल प्राप्त हुये जिसके कारण भारत सरकार ने 1964–65 में खाद्यान्नों की आवश्यकताओं में वृद्धि को देख कर इस कार्यक्रम को 114 जिलों में शुरू किया गया। (IAAP) और (IADP) दोनों कार्यक्रम जो आर्थिक विकास के “बड़े प्रयास” सिद्धांत पर निर्भर थे, हरित कांति की सफलता के लिए कारगर सिद्ध हुये। इसके लिए कठिन परिश्रम और जरुरी प्रशासनिक प्रक्रिया करने के पश्चात चार उत्तम कोटि की किस्मों के 100 किलोग्राम बीज संस्था को प्राप्त हो पाये थे। 1965 में नई किस्मों के ‘लेरमा’, ‘राजो’, ‘सोनार’ आदि का 200 टन आयात बड़ी कठिन शर्तों के साथ किया गया था। इसके पश्चात 1966 में खेती करने के लिए इन नई किस्मों के 1800 टन बीज मंगाये गये, जिससे खेती करने से 1970 तक गेहूँ का उत्पादन लगभग दो गुना बढ़कर 1.23 करोड़ टन से 2.1 करोड़ टन हो गया था। देश के खेत गेहूँ की फसलों से हरे—भरे हो गये, फिर 1974 तक खाद्यान्नों की फसलों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया।

हरित कांति से पूर्व की अवधि और हरित कांति के बाद की अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन व उत्पादकता में जो संवृद्धि हुई उसको तालिका-1 के द्वारा दर्शाया जा रहा है।

फसलों की उत्पादन व उत्पादकता संवृद्धि दरें, 1949–50 से 2018–19

(आधार : 1981–82 को समाप्त होने वाली त्रिवर्षीय औसत = 100)

हरित कांति से पूर्व की अवधि			हरित कांति की अवधि								
1949–50 से 1964–65			1967–68 से 1980–81		1980–81 से 1989–90		1990–91 से 1999–2000		2000–01 से 2018–19		
फसल (प्रतिशत प्रति वर्ष)	उत्पादन	उत्पादकता	उत्पादन	उत्पादकता	उत्पादन	उत्पादकता	उत्पादन	उत्पादकता	उत्पादन	उत्पादकता	
गेहूँ	4.0	1.3	5.7	2.6	3.6	3.1	3.6	1.8	1.9	1.2	
चावल	3.5	2.3	2.2	1.5	3.6	3.2	2.0	1.3	1.6	1.8	

स्रोत :— (1) Government of India, Ministry of Agriculture, Agricultural Statistics at a Glance, 1997 (New Delhi, 1997), Table 15.2(b) and Agricultural statistics at a Glance 2013 (New Delhi, 2013), Table 4.4 to 4.23, and (2) Government of India, Economic Survey 2017-18 (New Delhi 2018), Volume II, Statistical Appendix, Table 1.15, p. A35 and Table 1.17, p.37.

उपरोक्त आँकड़ों में हरित कांति से पूर्व की अवधि में जब नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया था, उस समय जो गेहूँ और चावल की उत्पादन व उत्पादकता थी उसको ध्यान में रखकर हरित कांति की अवधि में जब नई प्रौद्योगिकी से गेहूँ और चावल की पैदावार करने पर उनकी उत्पादन व उत्पादकता में जो संवृद्धि हुई है उसका अध्ययन किया गया है। जिसमें यह पाया गया है कि हरित कांति से पूर्व वर्ष 1949–50 से 1964–65 में गेहूँ और चावल का उत्पादन क्रमशः 4.0 और 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष व उत्पादकता क्रमशः 1.3 और 2.3 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। हरित कांति के पश्चात वर्ष 1967–68 से 1980–81 में गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि क्रमशः 5.7 और 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष व उत्पादकता में वृद्धि क्रमशः 2.6 और 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष हुई थी। हरित कांति की शुरुआत में चावल की तुलना में गेहूँ की पैदावार में वृद्धि अधिक हुई थी। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी से गेहूँ और चावल की पैदावार करने पर इनकी उत्पादन व उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होती आई है। गेहूँ और चावल की पैदावार में वृद्धि होने पर किसानों के पास इन फसलों का आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त भाग बचने लगा जिसको बेचकर किसान अपने आर्थिक स्तर में वृद्धि करने लगे। किसानों के द्वारा विपणन किया में वृद्धि की जाने लगी जिसके परिणामस्वरूप कृषि विपणन की प्रक्रिया में विकास होने लगा।

हरित कांति के विकास से कृषि विपणन में परिवर्तन :-

भारत में हरित कांति को अपनाने से कृषि फसलों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी होने के फलस्वरूप किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उपज को मण्डियों में विपणन करने लगे। हरित कांति की नई प्रौद्योगिकी से फसलों की पैदावार में संवृद्धि होने पर कृषि विपणन की प्रक्रिया के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जोर दिया जाने लगा। जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होने लगे तथा किसानों की आय में वृद्धि होने लगी। जिसके कारण किसानों के जीवन स्तर में सुधार होने से इनको ऋण लेने की आवश्यकता कम पड़ने लगी। किसानों को नई तकनीकों और प्रणालियों का प्रयोग करके कृषि फसलों को पैदा करने में सुविधा होती है और कम समय भी लगता है। भारत सरकार के द्वारा कृषि विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक व्यवस्थायें की गई हैं, ताकि किसानों को विपणन कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। भारत सरकार के द्वारा बनाई गई विपणन व्यवस्थाओं, योजनाओं को राज्य और केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाया जाता है। कृषि विपणन में वृद्धि करने के लिए बाजारों, नीतियों, रणनीतियों, योजनाओं, मण्डियों, सहकारी समितियों, भण्डारण, परिवाहन, पेयजल, विश्रामगृहों आदि की उचित व्यवस्थाओं के लिए सरकार के द्वारा सुधार किये जा रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए संचार के संसाधन, उचित नाप-तौल, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, मूल्य की सूचना आदि की व्यवस्थाओं में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा

है। मण्डियों में बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार ने कृषि विपणन में वृद्धि करने के लिए नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना की है। नियन्त्रित मण्डियों के मुख्य उद्देश्य थे कि किसानों को बिचौलियों और आढ़तियों के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाना, जिसमें नियन्त्रित मण्डियों ने काफि सफलता प्राप्त की है। नियन्त्रित मण्डियों के लाभों को देख कर भारत सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम (APMCA) पारित किया। जिसमें 7320 नियमित मण्डियों को सम्मिलित किया गया है। कृषि विपणन में सतत विकास करने के लिए भारत सरकार ने मण्डियों में एकाधिकार को समाप्त, एकल लाइसेंस व्यवस्था लागू मण्डियों और निजी मण्डियों की स्थापना, मण्डी के बाहर किसानों का सीधे विक्रय करना, मण्डी में श्रेणीबद्ध फीस का निर्धारण, मण्डियों में पदाधिकारियों का पंजीयन, कम्प्यूटराइजेशन कर ई-बाजार का प्रावधान किया गया है। कृषि विपणन की प्रक्रिया में विकास करने के लिए बैंकों के द्वारा अनेक योजनायें बनाई गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके, ताकि किसान अपनी कृषि फसलों की पैदावार में वृद्धि करके विपणन किया को सम्पन्न कर सके। कृषि विपणन का जितना विकास होगा, किसानों की आय में उतनी ही वृद्धि होती जायेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीविकोपार्जन में वृद्धि होगी। हरित कांति के विकास का सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ा, जिसके कारण उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कृषि विपणन की संरचना के विकास के लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे—राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) से मण्डियों को जोड़ना, ग्रामीण बाजारों, हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों की तरह विकसित करना, कृषि बाजार आधारभूत संरचना फंड तैयार करके उसका उपयोग करना, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के द्वारा बनाई गई सङ्कों से ग्रामीण बाजारों को जोड़ना, कृषि उत्पादन के विपणन को योजनाओं के द्वारा लाभ पहुँचाया जाये।

हरित कांति के पश्चात भारत सरकार ने कृषि विपणन में विकास के लिए अनेक सुधार और संशोधन किये है। जिनसे प्रभावित हो कर किसान कृषि फसलों को मण्डियों में बेचने और सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य प्राप्त होने के प्रति विश्वास रखने लगे है। जिसके कारण कृषि विपणन की प्रक्रिया में वृद्धि होने लगी है। हरित कांति के बाद कृषि विपणन में हुये विकास को तालिका-2 के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तालिका में मुख्य गेहूँ और चावल उत्पादक राज्यों में गेहूँ और चावल की राज्य-वार खरीद को विपणन वर्ष 2012–13 से 2018–19 को आधार वर्ष मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य गेहूँ और चावल उत्पादक राज्यों में गेहूँ और चावल की राज्य—वार खरीद
 (विपणन वर्ष के अनुसार)

गेहूँ	टन में						
राज्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
पंजाब	12834	10897	11641	10344	10649	11706	12692
उत्तर प्रदेश	5063	683	628	2267	797	3699	5294
हरियाणा	8665	5873	6495	6778	6752	7432	8784
राजस्थान	1964	1268	2159	1300	762	1245	1532
मध्यप्रदेश	8493	6355	7094	7309	3992	6725	7313
चावल	टन में						
राज्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
पंजाब	8558	8106	7786	9350	11052	11833	11334
हरियाणा	2609	2406	2015	2861	3583	3992	3941
उत्तर प्रदेश	2286	1127	1698	2910	2354	2875	3233
आन्ध्र प्रदेश	6486	3737	3596	4336	3724	4000	4806
छत्तीसगढ़	4804	4290	3423	3442	4022	3255	3971

स्रोत :— खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (*25.10.2019 की स्थिति के अनुसार)

तालिका-2 में उपरोक्त आँकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य यह है कि हरित कांति के विकास से गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि होने पर किसान कृषि विपणन की प्रक्रिया के प्रति उत्प्रेरित होता जा रहा है। जैसा कि तालिका-2 में दर्शाया गया है कि जिन राज्यों में हरित कांति से गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उन राज्यों में गेहूँ और चावल की विपणन वर्ष के अनुसार राज्य—वार खरीद में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः इससे यह निष्पादित किया जा सकता है कि हरित कांति के विकास से कृषि विपणन में निरन्तर वृद्धि हुई है।

शोध के उद्देश्य :—

हरित कांति की नई प्रौद्योगिकी, तकनीकों, किस्मों, प्रणालियों का प्रयोग करके खाद्यान्नों में होने वाली वृद्धि से कृषि विपणन में हुये विकास का अध्ययन करना ताकि किसानों को कृषि विपणन की प्रक्रिया के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सरकार के द्वारा मण्डियों की व्यवस्थाओं, योजनाओं, नीतियों, रणनीतियों में किये गये सुधारों और संशोधनों का अध्ययन करके, किसानों को कृषि विपणन में वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरित किया जा सके तथा किसानों

को मण्डियों की कार्यप्रणाली के प्रति विश्वास दिलाया जा सके। किसानों के द्वारा विपणन की किया करने में होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना ताकि इन कठिनाईयों का समाधान किया जा सके, जिससे कृषि विपणन में सतत विकास होता रहे।

समस्या :-

कृषि विपणन का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा जो योजनायें और व्यवस्थायें बनाई गई हैं, वे सफलतापूर्वक किसानों को लाभ नहीं पहुँचा रही हैं। सरकार के द्वारा बनाई गई नियन्त्रित मण्डियाँ पूर्णरूप से किसानों के लिए सफल नहीं हुई हैं क्योंकि किसान नियन्त्रित मण्डियों के कार्यों से सन्तुष्टि नहीं हो पाने के कारण इनके प्रति असन्तोष की भावना रखते हैं। इसलिए किसान मण्डियों में अपनी उपज को नहीं बेचते हैं। किसानों को मण्डियों में बिचौलियों और आढ़तियों की कपटपूर्ण रणनीति का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान हतोत्साहित हो कर अपनी उपज को मण्डियों से बाहर बेचने के लिए विवश रहता है। सरकार के द्वारा बनाई गई नाप—तौल की उचित व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, विश्रामगृहों, पैदल, परिवाहन, भण्डारण, श्रेणीकरण, ग्रेडिंग आदि की व्यवस्थाओं से किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है। मण्डियों में कर्मचारियों की भेदभाव की रीति रखने के कारण मण्डियों के प्रति किसानों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिससे कृषि विपणन में वृद्धि नहीं हो रही है।

सुझाव :-

कृषि विपणन का विकास करने के लिए सरकार को नियन्त्रित मण्डियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे किसानों को अपनी कृषि फसलों को बेचने में सुविधा हो। सरकार ने जो योजनायें और व्यवस्थायें बनाई गई हैं, उनका लाभ किसानों को पहुँचाया जाये। संचार के माध्यम से किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य की जानकारी समय—समय पर दी जानी चाहिए। श्रेणीकरण और मानकीकरण को अनिवार्यता प्रदान की जाये ताकि किसी प्रकार के भ्रम से बचा जा सके। नाप—तौल की उचित व्यवस्था की जाये और कर्मचारियों को नई तकनीकों के प्रयोग करने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाये। जिससे कर्मचारी इन नई तकनीकों का प्रयोग किसानों के हित में कर सके। भण्डारगृहों की उचित व्यवस्था के साथ नये गोदामों का निर्माण किया जाये। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई—नाम) से सभी मण्डियों को जोड़ने पर जोर दिया जाये। ग्रामीण बाजारों, हाटों, मण्डियों को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के द्वारा बनाई गई सङ्करणों से जोड़ा जाये। कृषि बाजार आधारभूत संरचना फंड तैयार करके उसका उपयोग किसानों कराया जाये। कृषि उत्पादन के विपणन को योजनाओं के द्वारा लाभ पहुँचाया जाये।

निष्कर्ष :-

हरित कांति का उद्भव खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए, नई प्रौद्योगिकी, किस्मों, तकनीकों का प्रयोग करके गेहूँ और चावल की पैदावार में वृद्धि की गई। हरित कांति के विकास से भारत में खाद्यान्नों की पूर्ति हुई, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और कृषि फसलों का निर्यात करने लगा। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से कृषि फसलों गेहूँ और चावल में बढ़ोत्तरी होने पर किसानों के पास उपज के अतिरिक्त भाग में वृद्धि होने से किसान उसका विपणन करने लगा जिससे कृषि विपणन में धीरे-धीरे विकास होने लगा। कृषि विपणन में विकास करने के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थायें, अधिनियम, संशोधन, रणनीतियाँ नियन्त्रित मण्डियाँ, ई-नाम योजना आदि बनाई हैं, जिसके फलस्वरूप कृषि विपणन में विकास हुआ और किसानों की आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है। कृषि विपणन में विकास के लिए उद्देश्यों की पूर्ति, समस्याओं का समाधान किया गया जिसके कारण कृषि विपणन में निरन्तर विकास हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि हरित कांति के बाद कृषि विपणन में विकास हुआ है।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- 1— हरित कांति – हरित कांति – eGyankosh-<https://egyankosh.ac.in>
- 2- Dr. Gangadhar,"Green Revolution"Assistant Professor Department of Economics Mahatma Gandhi kashi Vidyapith Varanasi-2
- 3- Dr. Safi kumar,Sujeet,"भारत में हरित कांति और उसके प्रभाव" Assistant Professor Department of Economics RK college Madhubani
- 4— हरित कांति –<https://www.rosalux.in>
- 5— कृषि में हरित कांति का ताना—बाना डॉ. सुधीर कुमार पटेल भारत—<https://www.researengate.in>
- 6— कृषि एवं किसान – <https://icar.org.in>
- 7— कृषि : चुनौतियां और समाधान— <https://164.100.47.193>
- 11- <https://www.aiggpa.mp.gov.in>
- 12- <https://www.indiabudget.gov.in>- आर्थिक समीक्षा 2020–21 खण्ड-2
- 13— कुरुक्षेत्र – (ग्रामीण विकास को समर्पित) सितंबर 2021

- 14— भारत कृषि की स्थिति (2017), भारत सरकार कृषि एवं किसान मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली
- 15— दयाल, नरसिंह “आमुख कथा” (मार्च 2010) नवकुज, एच.आई-70, आवासीय कॉलोनी, रॉची— 834002 (झारखण्ड)
- 16- ISAAA (भागीरथ चौधरी कादम्बिनी गौड़) ISAAA south Asia office c/o ICRISAT, NASC Complex देव प्रकाश शाष्ट्री मार्ग टोडापुर गाँव के सामने नई दिल्ली – 110012, भारत
- 17— कृषि सांख्यिकी — एक झलक (2019) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय
- 18— कृषि अर्थशास्त्र (एम.ए. अर्थशास्त्र) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक — 124001
- 19— आर्थिक समीक्षा 2016–17 (भाग-2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग आर्थिक प्रभाग अगस्त, 2017
- 20— पुरी, वी.के. और मिश्र, एस.के., (भारतीय अर्थव्यवस्था) Himalaya Publishing House Iso 9001:2015 CERTIFIED (इकत्तीसवाँ संस्करण : 2019)